न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 115 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. श्रीमती बाबू पुत्री जावता पत्नी चूना उम्र 35 साल जाति मेघवाल निवासी मौखावा खुर्द तहसील गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर।	**बनाम**	1.कौहला पुत्र रामचन्द्र 2.रामजी पुत्र रामचन्द्र 3.कुम्भा पुत्र रामचन्द्र 4.फगलु पुत्र रामचन्द्र 5.पुरखा पुत्र मूला जाति मेघवाल निवासी बाण्ड तहसील गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी के बमुकदमा संख्या 32 / 2004 बअनवान रामजी बनाम कुम्भा निर्णय दिनांक 30.05.2017।

उपस्थिति

1. वकील श्री राऊराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री ओमप्रकाश विश्नोई रेस्पोडेंट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः— 27.03.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा संख्या 13 रकबा 77 बीघा, खसरा संख्या 23 रकबा 40.02 बीघा, खसरा संख्या 20 रकबा 05 बिस्वा, कुल रकबा 117.12 बीघा ग्राम बाण्ड में आये हुऐ है। अपीलांट बाबू ही जावता जो उसके पिता है के 1/4 हिस्सा की हकदार है जावता ने व उसकी पत्नी ने अपने जीवनकाल में कभी किसी को गोदपुत्र नही लिया था। अपीलांट के साथ कौहला जो रामचन्द्र का पुत्र है, उसके उतराधिकारी(कायम मुकाम) बन कर गलत व अवैध तरीके से इन्द्राज हुई है। गलत रूप से गोद पुत्र बन कर जावता के खेत खसरा संख्या 13 में 1/4 हिस्सा प्राप्त कर लिया है। जो गलत व अवैध है तथा न ही कोई गोदनामा पेश किया है। दिनांक 07.01.2009 को एक राजीनामा पेश किया गया है उसे सक्षम अधिकारी द्वारा तस्दीक नहीं किया गया है न ही सक्षम अधिकारी के समक्ष बाबू व कौहला हाजिर हुवे है मात्र एक राजीनामा सादे पेपर पर लिखा हुआ पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया है। जो अपने आप में संदिग्ध व सन्देह उत्पन्न करता है। अपीलांट रेस्पोडेंट संख्या 01 के सिवाय अन्य रेस्पोडेंट से कोई इस्तदुआ नही चाही

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

है मात्र उन्हे तकनीकी आधार पर पक्षकार बनाया है। अपीलांट को पीड़ा मात्र फर्जी गोद पुत्र रेस्पोडेंट संख्या 01 कौहला से है तथा कौहला का नाम जावता के हिस्से में हटाया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा संख्या 13 रकबा 77 बीघा, खसरा संख्या 23 रकबा 40.02 बीघा, खसरा संख्या 20 रकबा 05 बिस्वा, कुल रकबा 117.12 बीघा ग्राम बाण्ड में आये हुऐ है। अपीलांट बाबू ही जावता जो उसके पिता है के 1/4 हिस्सा की हकदार है जावता ने व उसकी पत्नी ने अपने जीवनकाल में कभी किसी को गोदपुत्र नही लिया था। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 07.01.2009 को एक राजीनामा पेश किया गया है उसे सक्षम अधिकारी द्वारा तस्दीक नहीं किया गया है न ही सक्षम अधिकारी के समक्ष बाबू व कौहला हाजिर हुवे है मात्र एक राजीनामा सादे पेपर पर लिखा हुआ पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया है। जो अपने आप में संदिग्ध व सन्देह उत्पन्न करता है। अपीलांट रेस्पोडेंट संख्या 01 के सिवाय अन्य रेस्पोडेंट से कोई इस्तदुआ नही चाही है मात्र उन्हे तकनीकी आधार पर पक्षकार बनाया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ एवं अपीलांट के अधिकारों का हनन किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा दिनांक 20.01.2009 का जरिये राजीनामा के आधार पर खुद कोर्ट को बताया कि कोहला उर्फ कौशला जावता का गोद पुत्र है जिससे मेरे पिता जावता ने जीवन काल में संवत 2060 को कौशला को गोद लिया गया था एवं आगे बताया था कि हम दोनो की सहमति से मेरे पिता की जमीन मे से खसरा संख्या 23 में संयुक्त भूमि मेरे पिता का 1/4 सम्पूर्ण हिस्सा 10.00 बीघा जमीन अपीलांट ने अपने बंट में दी जाने का उल्लेख किया एवं खसरा संख्या 13 मे मेरे पिता का संयुक्त भूमि मे 1/4 की भूमि मेरे गोद भाई कोहला गोद पुत्र जावंता को दे दी जावे जिस पर मेरा भाई कोहला काबिज है इस आशय का निवेदन अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट की अपील नकल मिलने व बाड़मेर आकर वकील से सम्पर्क करने मे 3 दिवस का विलम्ब से पेश की गई तथा निर्णय प्रशासन गांवों के संग में सुनाया गया तथा निर्णय का ज्ञान एक माह बाद हुआ है वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। वकील अपीलांट द्वारा एकमात्र उज्र उठाया गया है कि मृतक जांवता के एक मात्र विधिक वारिसान अपीलांट ही है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय में जांवता के सगे भाई रामचंन्द्र के पुत्र कोहला को अपीलांट के साथ उसके पिता का विधिक वारिसान मानकर संयुक्त खातेदार घोषित कर दिया है जो विलोपित करने लायक है। इस उज्र पर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अभिलेख/आदेशिका का अवलोकन किया। आदेशिका दिनांक 20.01.2009 में स्पष्ट अंकित है कि "जांवता राम के वारिसान को रेकर्ड पर लिया जाता है। जांवताराम के वारिसान की ओर से श्री घमडाराम वकील ने वकालतनामा एवं जांवता व उसकी पत्नी पालू के मृत्यु प्रमाण–पत्र पेश किये। बाबूदेवी ने राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया"। इस राजीनामे पर एतराज किया गया है कि वह सक्षम अधिकारी द्वारा तस्दीक नही किया गया है वह संदिग्ध है। पत्रावली पर एक वकालतनामा दिनांक 20.01.2009 है जिस पर अपीलांट बाबूदेवी तथा कोशला के संयुक्त अंगुष्ठ निशानात होकर पेश हुआ जिसमें 2 कौशलाराम उर्फ कोहलाराम गोद पुत्र जांवता स्पष्ट अंकित किया हुआ है। उसी रोज अपीलांट के ही वकील द्वारा हस्ताक्षरित संशोधित शीर्षक पेश होकर शामिल मिसल हुआ है जिसमें 04 जांवता पुत्र मूला फौत के कायम मुकाम 04(क) श्रीमती बाबू पुत्री जांवता व 04(ख) कोहला उर्फ कौशला गोद पुत्र जांवता स्पष्ट अंकित है यह भी उसी रोज राजीनामा के साथ पेश हुआ। राजीनामा पर श्रीमती बाबू व कोहला के अंगुष्ठ निशान होकर पृष्ठ भाग पर श्रीमती बाबू के अंगुष्ठ निशान लगाकर उसके नियुक्त वकील द्वारा पहचान की गई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

इसके अलावा अपीलांट बाबूदेवी ने दिनांक 07.01.2009 को उपस्थित होकर एक प्रार्थना–पत्र वास्ते तलब करने पत्रावली के बिंदु संख्या 02 में स्पष्ट लिखा है "कि उक्त अनवान के वाद में पक्षकार प्रतिवादीनी बाबू उपस्थित आई है व राजीनामा पेश कर रही है"। "इसी राजीनामा को आधार बनाकर कैम्प बांड में दिनांक 30.05.2017 को कोहला (प्रतिवादी संख्या 04 ख) की तरफ से वाद में जवाब पेश जिसका पद संख्या 05 स्पष्ट करता है कि "प्रतिवादी संख्या 04 जांवता के जायंदा विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 4क एवं 4ख श्रीमती बाबूदेवी(पुत्री) एवं कोहला गोदपुत्र जावता है।" इसी तरह लिखित बहस में कोहल ने इसी की पुनरावृति पद संख्या 06 में की है। पत्रावली पर फार्म संख्या 03 में प्रस्तुत अभिलेख में अपीलांट बाबू पुत्री जांवता का 100/– स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र है दिनांक 20.07.2012 है जिसमें उसने स्वीकार किया है कि "जांवता ने अपने जीवनकाल में कोहला पुत्र रामचंद्र को संवत 2060 को गोद लिया था। पद संख्या 03 में उसने पुनः स्पष्ट किया कि मेरे पिता जांवता की मृत्यु के पश्चात उसके विधिक वारिसान मै (बाबू पुत्री) व गोद पुत्र कोहला ही है। इसके समर्थन में अन्य दस्तावेज कोहलाराम की गोद लेने की लिखत भी है जिसमें गोद (खोलिये) की रस्म भाई बस्ती शामिल होकर की जाना अंकित है। इस लिखत पर बाबू स्वयं एवं उसकी माता पालू के भी अंगुष्ठ निशानात अन्य कई निकट रिश्तेदारों के साथ है।

उपरोक्त तमाम दस्तावेज अपीलांट के अपील मीमों के कथनों का समर्थन नही करते हैं। उसकी स्वयं की सशपथ स्वीकारोक्ति एवं हस्ताक्षरित राजीनामा के मददेनजर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा बमुकदमा संख्या 32/2004 बअनवान रामजी बनाम कुम्भा में पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.05.2017 को यथावत रखा जाता है।

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 27.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner